



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र.

कमांक 367 / म.प्र. नि.वि.वि.आयोग / स्थापना / भोपाल

दिनांक 03/09/22

// आदेश //

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 173 वीं सभा की बैठक दिनांक 12/02/2022 के एजेण्डा कमांक (173)-3 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर के मुख्य परिसर में स्थित शैक्षणिक विभागों में निम्नलिखित तालिका में दर्शित पाठ्यक्रमों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित सीट संख्या अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Shree Krishna University, Chhatarpur from 2021-22

s. no.	Name of the Course	Ordinance No.	Intake Capacity
1.	MAM (Master of Applied) Management	48	120
2.	BHM (Bachelor of Hospital Management)	50	120
3.	MHM (Master of Hospital Management)	51	120
4.	Diploma In Dairying & Animal Husbandry	71	120
5.	PGDCA	80	120
6.	P.G. Diploma in Cyber LAW	84	80
8.	B.A. Yoga	28	120
9.	M.A. Yoga	27	120
10.	B.H. Sc.	28	120

शर्त :-

- संबंधित विनियामक परिषदों से अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यू.जी.सी. एवं संबंधित विनियामक परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाईडलाइन के अनुसार दिये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईडलाइन / मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना
- अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं म.प्र. नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु मानक एजेंसियों से ग्रेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैंकिंग संस्था / एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यू.जी.सी. के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.डी.) संधारित करना होगा।

कुलसचिव

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)

नियंत्रण

02/09/22




- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गंभीर न्यूनता पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जावेगी।

नोट-

1. Doctors of letter / Science, LL.D विषयो में अस्पष्टता होने के कारण अमान्य किया गया। दोनो पाठ्यक्रमों के शिर्षक में स्पष्टता होने के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।

(ना. अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)

सचिव

म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल
दिनांक / 03/2022

पृष्ठांकन-_____/ म०प्र०नि०वि०वि०आयोग/स्थापना/ भोपाल

प्रतिलिपि-

1. कुलसचिव, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अध्यक्ष, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रभारी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
4. प्रभारी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
5. प्रभारी शुल्क निवृत्तन प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनार्थ।
6. मूल नस्ती।

सचिव

म०प्र०नि०वि०वि०आयोग, भोपाल



कुलसचिव

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय
छतरपुर(म.प्र.)